

रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी स्कीम का परिचय

Hindi
Reportable Conduct Scheme

रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी स्कीम के बारे में

विक्टोरियन रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी स्कीम के अनुसार कुछ संगठनों के लिए उनके कर्मचारियों और स्वयंसेवकों द्वारा किए गए बाल शोषण और बाल-संबंधी दुर्व्यवहार के आरोपों को बाल और युवा वर्ग आयोग को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

इस स्कीम का उद्देश्य संगठनों द्वारा बाल शोषण और बाल-संबंधी दुर्व्यवहार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के तरीकों में सुधार करना है।

इस स्कीम के तहत:

- संगठनों को अपने श्रमिकों और स्वयंसेवकों के खिलाफ बाल शोषण और बाल-संबंधी दुर्व्यवहार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए
- संगठनों को आयोग को आरोपों के बारे में बताना चाहिए
- आयोग संगठन द्वारा आरोपों का जवाब देने और जांच करने के तरीकों पर नजर रखता है
- बच्चों के साथ काम करने वाले संगठन, नियामकों, पुलिस को जांच करनी चाहिए और आयोग के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए

इसके साथ ही संगठनों को ऐसे किसी भी प्रकार के व्यवहार की रिपोर्ट करनी चाहिए, जो पुलिस के अनुसार आपराधिक हो सकता है। अगर पुलिस भी इसमें शामिल है, तब भी संगठनों को जांच करनी चाहिए, लेकिन केवल उसके बाद ही जब पुलिस कहे कि शुरू करना ठीक है।

किस तरह का आचरण रिपोर्ट करने योग्य है?

- किसी बच्चे से जुड़े यौन अपराध
- किसी बच्चे से जुड़ा यौन दुर्व्यवहार
- किसी बच्चे से जुड़ी शारीरिक हिंसा
- ऐसा कोई भी व्यवहार, जो किसी बच्चे को विशेष रूप से भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है
- किसी बच्चे की विशेष रूप से की गई उपेक्षा।

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है।

रिपोर्ट करने योग्य आचरण के प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आयोग की वेबसाइट में [रिपोर्ट करने योग्य आचरण स्कीम के बारे में](#) पर जाएं।

यह स्कीम किस पर लागू होती है?

यह स्कीम किन्हीं संगठनों से जुड़े हुए निम्नलिखित लोगों पर लागू हो सकती है:

- कर्मचारी
- स्वयंसेवक

- कुछ ठेकेदार
- नौकरशाह
- धर्म के पुजारी
- धर्माधिकारी।

इसमें शामिल संगठनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आयोग की वेबसाइट में [संगठनों के लिए](#) पर जाएं।

संगठनों के दायित्व क्या हैं?

इस स्कीम के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए संगठन का मुखिया कानूनी रूप से जिम्मेदार है। किसी संगठन का मुखिया निम्नलिखित हो सकता है:

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- संगठन का प्रधान अधिकारी
- संगठन का सचिव, अगर संगठन विक्टोरियन सरकारी विभाग है।

अगर संगठन के पास सीईओ, प्रधान अधिकारी या इसके समकक्ष कोई नहीं है, तो वह किसी एक को नामांकित कर सकता है। इसके लिए फॉर्म, आयोग की वेबसाइट में [संगठन के प्रमुख को नामांकित](#) करना पर उपलब्ध है।

किसी संगठन के प्रमुख को यह करना होगा:

- बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं
- सुनिश्चित करें कि संगठन के पास शिकायत या आरोप करने के तरीके उपलब्ध हों।

अगर आपको निश्चित जानकारी नहीं है कि आपके संगठन का प्रमुख कौन है, तो सहायता के लिए आयोग से संपर्क करें।

संगठन के प्रमुख को क्या करना चाहिए?




सूचित करना

किसी आरोप के बारे में जागरूक करने के लिए आयोग को 3 व्यावसायिक दिनों के भीतर सूचित करें।



जांच करना

- आरोप की जांच करें
- आयोग को बताएं कि जांच कौन कर रहा है
- बच्चों से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करें।



अपडेट करना

आरोप के बारे में जागरूक करने के लिए आयोग को **30 दिन** के भीतर विस्तृत अपडेट दें।



परिणाम

आयोग को जांच के परिणाम के बारे में बताएं और संगठन आगे क्या करेगा और क्यों करेगा।



किसी संगठन के प्रमुख के लिए 3 व्यावसायिक दिन और 30 कैलेंडर दिन के अधिसूचना नियमों का पालन नहीं करना एक दंडनीय अपराध है।

किसी संगठन के प्रमुख की जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर मिल सकती है।

सहायता कहां से प्राप्त करें

आप इन माध्यमों से आयोग से संपर्क कर सकते हैं:

- टेलीफोन: (03) 8601 5281
- ईमेल: contact@ccyp.vic.gov.au

आप आयोग की वेबसाइट www.ccyp.vic.gov.au से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो कृपया 13 14 50 पर अनुवाद और व्याख्या संबंधी सेवा के लिए कॉल करें और फिर उनसे 03 8601 5281 पर बच्चों और युवाओं के लिए आयोग से संपर्क करने के लिए कहें।

